एस0सी0/एस0टी0 वाद सं0-265/17
किशनपुर थाना कांड सं0-215/14

दिनांक-01.02.2019

प्रार्थी राजो मुखिया उर्फ राजकुमार मुखिया, सकुनी देवी, ममता कुमारी, हरेराम मुखिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु आवेदन वकालत नामा के साथ दाखिल किए जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें इस केश में झूठा फसाया गया है, सूचिका ने जिस तरह से घटना का वर्णन की है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उनके विरूद्ध लगाया गया कोई भी आरोप आकर्षित नहीं करता है। प्रस्तुत वाद सह अभियुक्त लक्ष्मी मुखिया द्वारा सूचक पक्ष के विरूद्ध दायर किया गया नालशी वाद 1367सी/14 का पलटा वाद है। अनुसंधान के कम में अभियुक्तों को धारा 41(क) द0प्र0स0 का भी लाभ दिया जा चुका है। प्रस्तुत वाद में आरोपपत्र भी समर्पित किया जा चुका है। प्रार्थीगण स्वतः ही न्ययालय में आत्मसमर्पण किए हैं, न्यायालय का हरशर्त मानने को तैयार है, अतः जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति देखते हुए प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचक महावीर साफी के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थीगण सहित लक्ष्मी मुखिया के विरूद्ध धारा 341,323,325,379,34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(x) अनु0जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत यह कांड दर्ज किया गया है। जिसमें सूचक का कहना है कि दिनांक 19.11.2014 को सुबह में सूचक परसामाधो गए थे वापस लौटने के कम में अपने खेत में हल्ला सून कर वहां पहुंचे तो देखे कि उनकी पतोहु कुसुमवती देवी और लड़की सुभकला देवी जमीन पर गिरी थी और चिल्ला रही थी तथा अभियुक्तगण लाठी, डंडा, लात-मुक्का से मारपीट कर रहे थे। हरेराम मुखिया खेत जोत रहे थे, लक्ष्मी मुखिया जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली देते हुए बोले कि कुदाल से काटकर इसे खेत में गार दो तब हरेराम मुखिया एवं राजो मुखिया कुदाल लेकर सूचक की ओर दौरे तो सूचक जान बचाने के लिए भागा परंतु रास्ते में गिर गया तब दोनों अभियुक्त वहां पहुंचकर मारपीट करने लगे। हल्ला-गुल्ला सुनकर गांव के लोग जमा हो गए तो बीच बचाव किए। लक्ष्मी मुखिया सूचक के जेब से 3500/-रू0 निकाल लिए। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधानपश्चात अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया है।

सूचका के लिखित आवेदन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। सह अभियुकत लक्ष्मी मुखिया द्वारा इस वाद के सूचक पक्ष के विरूद्ध पूर्व में नालशी वाद 1367सी/14 दायर किया गया है जो दिनांक 10.11.14 के घटना तिथि के लिए किया गया है तथा मौजुदा वाद 19.11.14 का घटना तिथि दिखाते हुए पांच दिन बिलंब से दिनांक 24.11.14 को दायर किया गया है और इस बिलंब का कोई संतोषजनक जबाब अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है। पूर्व में सह अभियुक्त लक्ष्मी मुखिया ने सूचक के विरूद्ध वाद सं0-6/17 ग्राम कचहरी में भी लाया था जिसमें दोनों पक्षों को न्यायालय में जाने का निर्देश दिया गया। स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में जमीन संबंधी विवाद है और अनुसंधान के कम में अभियुक्तों को धारा 41(क) द0प्र0स0 का लाभ भी दिया जा चुका है। फलस्वरूप उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्दे नजर प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ, तदनुसार प्रार्थीगण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है, अतः प्रार्थी अभियुक्तों की ओर से मो0 10,000/- रू0 के व्यक्तिगत एवं समान राशि के दो-दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। तथा निर्देश दिया जाता है कि प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से अंडर टेकिंग दाखिल करेंगे कि न्यायालय में प्रत्येक तिथि को उचित पैरवी करते रहेंगे, न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे, लगातार दो तिथि अनुपस्थित रहने पर न्यायालय बंध पत्र रद्द करने के लिए स्वतंत्र रहेंगी, किसी भी साक्षी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे तथा वाद के त्वरित निस्तारण में सहयोग करेंगे।

अपर सत्र न्यायाधीश,
प्रथम, सुपौल